न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 65 / 2025

जी.सी.एम.एस. नं.: 2025 / 111

1. हरलाल पुत्र रेवंतराम जाति मेघवाल निवासी 3 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. रामकुमार पुत्र रेवंतराम जाति मेघवाल निवासी 3 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–प्रार्थीगण

बनाम

1. कृतिका पुत्री देवीचंद जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 10 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. मनीष पुत्र देवीचंद जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 10 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. देवीचंद पुत्र मोतीराम जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 10 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
4. जगदीश पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी 18 एसडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व विजयनगर।

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–

1. **श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री गुलशन सेतिया, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 4**
3. **राजपैरोकार**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य [illegible] रहे हैं कि :–

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] गया है कि कृषि भूमि वाके चक 3 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर [illegible] खाता सं–211 / 134 का मुरब्बा नं 56 पत्थर सं–126 / 362 का किला नं–[illegible]1. 2, 3, 4, 5 / 1, 5 / [illegible]890 हैक्टर कमाण्ड व 0.025 हैक्टर खाला व मुरब्बा नं–63 पत्थर सं–128 / 363 का किला नं–11 ता 15. 18, 19, 20 में 1.8970 हैक्टर अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 3.1110 हैक्टर कमाण्ड / अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड में प्रार्थीगण, प्रार्थीगण की बहनो विमलादेवी, सोनादेवी, सरस्वतीदेवी, तीजादेवी, विद्यादेवी व माता शांतिदेवी के नाम से संयुक्त खाता मे दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि को वाद पत्र में आयन्दा वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता रेवन्तराम के नाम से दर्ज था। रेवन्तराम का देहांत होने के बाद उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण, प्रार्थीगण की माता व बहनो को बहिस्सा बराबर विरासतन प्राप्त हुई जो सभी के नाम से संयुक्त खाता मे दर्ज है। तत्पश्चात दिनांक 7–3–2025 को प्रार्थीगण की बहनो विमलादेवी, सोनादेवी, सरस्वतीदेवी, तीजादेवी, विद्यादेवी व माता शांतिदेवी ने अपना–2 हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष मे बहिस्सा जरिए दस्तबरदारी दिनांक 7–3–2025 को बराबर छोड़ दिया है। जिसका इंतकाल दर्ज होना शेष है। अप्रार्थी सं–2 मनीष कुमार के नाम से चक–3 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर का नया खाता सं–321/120 का मुरब्बा नं 37 पत्थर सं–126/361 का किला नं–21/1, 22, 23 में 0.7030 हैक्टर रकबा गैर मुमकिन रास्ता उद्योग राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इसी मुख्या का किला नं–21/3 का 0.0060 हैक्टर कमाण्ड, 24 का 0.253 हैक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ, 25/1 का 0.2280 हैक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ, 25/2 का 0.025 हैक्टर खाला राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं–4 जगदीश पुत्र वस्तीराम जाति मेघवाल के नाम से दर्ज है जिसमे से किला नं–24 का 0.253 हैक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ, 25/1 का 0.2280 हैक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ रकबा अप्रार्थीया सं–1 का खरीदशुदा है लेकिन उसके नाम से नामातंरण दर्ज नही हुआ है। प्रार्थीगण यहां यह स्पष्ट करते है कि अप्रार्थीया सं–1 के नाम से मुरब्बा नं–37 पत्थर सं–126/361 का किला नं–24 का 0.253 हैक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ, 25/1 का 0.2280 हेक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ रकबा खरीदशुदा है तथा अपार्थी सं–2 के नाम से मुरब्बा नं–37 पत्थर सं–126/361 का किला नं–21/1, 22, 23 में 0.7030 हेक्टर रकबा गैर मुमकिन रास्ता उद्योग राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसमें अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 के पिता अप्रार्थी सं–3 देवीचंद द्वारा औद्योगिक ईकाइ/फैक्ट्री स्थापित कर रखी है जिसका संचालन अप्रार्थी सं–3 देवीचंद द्वारा किया जाता है, जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं–1, 2, 3 के साथ चिपती है। अप्रार्थी सं–3 द्वारा पूर्व मे [illegible] प्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं–1, 2, 3, मे करीबन एक फुट अंदर की तरफ निर्माण कर रखी थी। जिस पर प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी सं–3 को अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 के नाम रकबा की पेमाईश करवा कर तथा बाद पेमाईश अपनी दिवार सही करने बाबत कहा लेकिन अप्रार्थी सं–3 जो कि एक धनाढ्य परिवार है तथा राजनैतिक मे अपनी अच्छी पहुंच रखता है, ने प्रार्थीगण की कोई बात नही सुनी तथा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested

विवादित जगह की ना तो पेमाईश करवाई तथा नाही अपनी फैक्ट्री की दिवार को अपने रकबा मे से निकाली तथा हर बार दिवार सही कर अपने रकबा मे से निकालने का आश्वासन देता रहा। लेकिन इसके बावजुद अब अप्रार्थी सं–3 अपनी फैक्ट्री में नया निर्माण करने के आशय से प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से एक नई दिवार निकालने की फिराक में था। जिस पर दिनांक 28–3–2025 को प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष उपस्थित होकर अपने रकबा मुरब्बा नं–56 पत्थर सं–126/362 व मुरब्बा नं–63 पत्थर सं–128/363 में से अप्रार्थी सं–3 द्वारा दिवार नही निकालने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार जैतसर को प्रेषित किया गया तथा नायब तहसीलदार जैतसर के आदेश पर राजस्व पटवारी हसंराज सिंह ने दिनांक 24–4–2025 को मौका पर जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 को अप्रार्थी सं–3 की मोजुदगी मे निशानदेही दी गई। जिसमे पटवारी ने यह स्पष्ट दर्ज किया है कि मुरब्बा नं–37 पत्थर सं–126/361 का किला नं–24 का 0.253 हैक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ, 25/1 का 0.2280 हैक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ रकबा अप्रार्थीया सं–1 की खरीदशुदा है लेकिन रिकार्ड में अप्रार्थी सं–4 जगदीश के नाम से दर्ज है, दोनो पक्षकारो के मध्य सीमा विवाद को लेकर समझाईश कर दोनो पक्षो को निशानदेही दी गई तथा देवीचंद व हरलाल की सहमति से दोनो पक्षो को पाबंद किया गया। इसके उपरांत उप तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–5–2025 को भी विवादित रकबा की सीमा ज्ञान हेतु कमेटी गठित की गई तथा कमेटी द्वारा मौका पर जाकर जरीब लगा कर निशानदेही की कार्यवाही की गई जिसमें मुरब्बा नं 37 पत्थर सं–126/361 व मुरब्बा नं–56 पत्थर सं–126/362 के मध्य निशानदेही करने पर दोनो मुरब्बो का पत्थर लाईन उत्तर से दक्षिण मिलान करने पर दोनों के मध्य 8 फुट का अंतर आया तथा दोनो मुरब्बो मुरब्बो की पेमाईश भू–प्रबंध विभाग बीकानेर से करवाने बाबत दर्ज किया गया। इस प्रकार उक्त दोनो रिपोर्टस के आधार पर यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं–3 द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे बिना किसी अधिकार व कानून के अवैध तरीके से जबरदस्ती दिवार निकाली... तथा अब अप्रार्थी सं–3 प्रार्थीगण की कृषि भूमि में से अपनी फैक्ट्री मे ... करने की आड़ मे एक अन्य दिवार निकालना चाहता है। जिस संबंध मे प्रार्थीगण ने आज से 2–3 रोज पूर्व पंचायत कर अप्रार्थीगण सं–1 ता 3 को ऐसा नही करने बाबत समझाने का प्रयास किया तो अप्रार्थीगण सं–1 ता 3 ने एक राय होकर प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वह भू–प्रबंध विभाग बीकानेर से सीमाज्ञान होने से पूर्व ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि में से दिवार निकाल कर रहेगा। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested

उसका कुछ नही बिगाड़ सकते है तथा प्रार्थीगण से जो होता है कर ले। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के खातेदार कृषक है तथा प्रार्थीगण का यह विधिक अधिकार है कि वह अपनी सम्पतिं संबंधि अधिकारो की रक्षा करे तथा उसका उपयोग उपभोग करे। लेकिन अप्रार्थीगण सं–1 ता 3 बिना किसी विधिक अधिकार के अपने राजनैतिक प्रभाव के चलते बलपूर्वक प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से जबरदस्ती अवैध तरीके से दिवार निकालने की फिराक में है जिस संबंध में अप्रार्थीगण सं–1 ता 3 ने प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी भी दी है। अप्रार्थीगण सं–1 ता 3 की उक्त समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व व मनमानी है। यदि अप्रार्थीगण सं–1 ता 3 अपने इस अवैध आशय मे कायमाब हो गऐ तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारो का सरेआम हनन होगा, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन मुद्रा की ऐवज मे कभी भी नही किया जा सकेगा। इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में अपने विधिक अधिकारो की रक्षा करने के लिए अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 3 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर का खाता सं–211/134 का मुरब्बा नं 56 पत्थर सं–126/362 का किला नं–1/1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2 में 1.1890 हैक्टर कमाण्ड व 0.025 हैक्टर खाला व मुरब्बा नं–63 पत्थर सं–128/363 का किला नं–11 ता 15, 18, 19, 20 में 1.8970 हैक्टर अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 3.1110 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा मे से किसी प्रकार की कोई दिवार निकालने, निकलवाने व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी करने, करवाने से बाज व ममनु रहे तथा मौका की यथास्थिति बनाऐ रखे हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 4 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 5 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. [illegible] जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अलग [illegible] को प्रार्थना पत्र पेश किए समय–समय पर 3 बार अलग अंतिम प्रार्थना पत्र दिनांक 23–4–2025 को अप्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष उपस्थित होकर अपने रकबा मुरब्बा नं–37 पत्थर सं–126/361 के किला नं0. 24 व 25 में पैमाइश करवा कर दिवार निकलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

श्रीविजयनगर को प्रेषित किया गया तथा जिस पर स्वयं तहसीलदार महोदय व राजस्व पटवारी हसंराजसिंह, राजस्व निरीक्षक श्री तैन सिंह व प्रार्थी हरलाल ने दिनांक 23—4—2025 को मौका पर जाकर अप्रार्थीगण को हरलाल वगैरा प्रार्थीगण की मोजुदगी मे निशानदेही दी गई। जिसमे पटवारी ने यह स्पष्ट दर्ज किया है कि मुरब्बा नं 37 पत्थर सं—126 / 361 का किला नं—24 का 0.253 हैक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ, 25 / 1 का 0.2280 हैक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ रकबा अप्रार्थीगण सं—1 की खरीदशुदा है दोनो पक्षकारो के मध्य सीमा विवाद को लेकर समझाईश कर दोनो पक्षो को निशानदेही दी गई तथा देवीचंद व हरलाल वगैरा की सहमति से दोनो पक्षो को पाबंद किया गया। देवी चंद वगैरा ने सुरेश मंगल वगैरा के विरूद्ध देवीचंद वगैरा ने एक परिवाद सं०. 86 / 2024, अर्न्तगत धारा 420, 166, 167, 447, 427, 147, 148, 149 भा० दं० सं०, अति० मुख्य न्यायिक मजि०, श्रीविजयनगर के न्यायालय में 4 एल सी ए की भूमि में अवैध रूप सड़क बनाने के सम्बन्ध किया हुआ है जिसमें उपतहसीलदार तेजपाल पारीक आरोपी है, न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रथम दृष्टया अपराध कारित करना मानते हुए उपतहसीलदार व अन्य के विरूद्ध थानाधिकारी पुलिस थाना जैतसर को परिवाद की जांच शुरू करने के आदेश दिए है जिस कारण उपतहसीलदार तेजपाल पारीक अप्रार्थीगण से रंजिश रखता है इसी कारण उप तहसीलदार के आदेश दिनांक 14—5—2025 को पुनः विवादित रकबा की सीमा ज्ञान हेतु कमेटी गठित की गई तथा कमेटी द्वारा मौका पर जाकर जरीब लगा कर निशानदेही की कार्यवाही की गई की झूठी कहानी अंकित की है जिसमें मुरब्बा नं 37 पत्थर सं—126 / 361 व मुरब्बा नं—56 पत्थर सं—126 / 362 के मध्य निशानदेही करने पर दोनो मुरब्बो का पत्थर लाईन उत्तर से दक्षिण मिलान करने पर दोनो के मध्य 8 फुट का अंतर आया जो कि गलत व मिथ्या कपोल कल्पित अंकित किया है तथा दोनो मुरब्बो की पेमाईश भू—प्रबंध विभाग बीकानेर से करवाने बाबत दर्ज किया गया जो कि रंजिश वंश गलत व मिथ्या तरीके से जांच रिर्पोट दिनांक 06.05.2025 व 14.05.2025 अप्रार्थीगण को नाहक तंग व हैरान परेशान करने के उदेश्य से तैयार की गई जिसका वास्तविकता से को[illegible]र नही है और प्रार्थीगण द्वारा कराई गई रिर्पोट में भू प्रबंध अधिकारी से [illegible] करवायी जाने बाबत जानबूझकर अंकन किया है [illegible] भूमि को [illegible] दर्शाया जाकर, माननीय न्यायालय से इस झूठी रिर्पोट के आधार पर स[illegible]न प्राप्त कर, अप्रार्थीगण को हैरान, परेशान व नाहक तंग किया जाकर आर्थिक रूप से नुकसान कारित किया जा सके। कोई पंचायत नही हुई, केवल प्रार्थना हेतुक बनाने के लिए गलत दर्ज की गई है वास्तविकता यह है कि रिर्पोट दिनांक 23.04.025 के

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested

आधार बाउड्रीं दीवार निकाली गई जिसे अवैध रूप से बिना किसी न्यायालय आदेश के प्रार्थीगण द्वारा ट्रैक्टर से तोड़ कर नुकसान किया गया है। जिसके सम्बंध में पुलिस थाना जैतसर द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट 70/2025 दर्ज की गई है जिसमें अनुसंधान जारी है व घटना का पूरा विवरण सी सी टीवी कैमरा में दर्ज है जो कि संलगन जवाब प्रार्थना है। प्रार्थीगण को कोई प्रार्थना–हेतु प्राप्त नहीं है इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के किसी प्रकार विधिक अधिकारी नही है। चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित वेयर हाउस में भारतीय खादय निगम द्वारा हायर कर सरकारी खरीद शुदा गेंहू का भंडारण किया गया जो कि लगभग 12 करोड़ रूपयें की सरकारी सम्पति है जिसकी सुरक्षार्थ प्रार्थीगण द्वारा तोड़ी हुई, टूटी दिवार का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है इसलिए स्थगन से भारत सरकार व अप्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान होगा जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र झूठे आधारो का पुलिन्दा बनाकर पेश किया है जिस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष के है इसलिए खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सव्यय खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष अपनी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। वकील प्रार्थीगण कथन किया कि प्रार्थीगण के पास ट्रेक्टर नहीं है, अप्रार्थीगण स्वंय द्वारा दीवार तोड़ी गई है। अप्रार्थीगण अवैधानिक रूप से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में निर्माण करना चाहते है। अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण कथन किया कि पूर्व में दिनांक 23.04.2025 को निशानदेही दी गई थी उसी स्थान पर दीवार निर्माण किया जा रहा था, जिसे प्रार्थीगण द्वारा तोड़ दिया गया जिस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना में प्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज करवाई गई है। वेयर हाउस में भारत सरकार के भारतीय खादय निगम का खरीदशुदा गैंहू [illegible] किया गया है। यदि दीवार निर्माण नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण के [illegible] भारत सरकार को भी अपूर्णीय क्षति संभावित है। प्रार्थना पत्र [illegible] होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अवैध दीवार निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रार्थीगण के हित प्रभावित हो

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested

रहे है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा सही जगह पर दीवार निर्माण किया जा रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के चिपते ही अप्रार्थीगण की औद्योगिक भूमि है जिसमें वेयर हाउस बना हुआ है जिसमें भारतीय खाद्य निगम का गैंहू भण्डारित कर रखा गया है जिसकी सुरक्षा हेतु दीवार का निर्माण किया जा रहा था। जो कि अति आवश्यक है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने हे अधिकारी नहीं है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पुलिस थाना जैतसर में दर्ज एफआईआर सं. 70/25 की प्रति का अवलोकन किया। दीवार तोडें जाने के संबंध में आरोपी बाबत अनुसंधान का विषय है, हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना न्यायपूर्ण नहीं है ना ही हस्तगत न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है। पत्रावली उपलब्ध फर्द मौका दिनांक 23.04.2025 अनुसार चक 3 जेएसडी मु.नं. 126/361 चव 126/362 के कि. नं. 4, 5 व 24, 25 के बीच सीमा विवाद को मौका पर समझाईश द्वारा हल किया जाकर दोनों पक्षकारों को निशान दिये गये उक्त निशानों पर दोनों पक्षकारों देवीचन्द व हरलाल वगै ने सहमति प्रगट की तथा दीवार के लिए निशान दिये गये। दोनों पक्षकारों को उक्त पर पाबन्द किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 14.05.2025 को पटवारी दैनिक डायरी अनुसार उपतहसीलदार जैतसर के आदेशानुसार गठित कमेटी के द्वारा जीपीएस मशीन व जरीब द्वारा पत्थर लाईन के निशान हेतु कार्यवाही करने पर पृथक पृथक दिशा के पृथक पृथक पत्थरों से पत्थर लाईन निकालने पर दोनों पत्थर लाईन का उत्तर से दक्षिण मिलान करने पर दोनों के मध्य 8 फुट का अन्तर आ रहा है। पत्थर लाईन 126/361 व 126/362 के मध्य विवाद होने के कारण निशान दिया जाना सम्भव नहीं है। सही पत्थर लाईन निकालने हेतु भू प्रबन्ध विभाग बीकानेर से सीमाज्ञान करवाया जाना उचित होगा।

6. दोनों पक्षों में सीमा को लेकर विवाद है, पृथक पृथक दिशा के पृथक पृथक पत्थरों से पत्थर लाईन निकालने पर दोनों पत्थर लाईन का उत्तर से दक्षिण मिलान करने पर दोनों के मध्य 8 फुट का अन्तर आ रहा है, जिस हेतु भू प्रबन्ध विभाग से पैमाईश करवाना आवश्यक है, प्रार्थीगण अपने नाम की भूमि के खातेदार दर्ज है तथा विपरीत भूमि अप्रार्थीगण की औद्योगिक भूमि है जिस कारण दोनों पक्षों को ही अपनी अपनी भूमि के उपयोग उपभोग के पूर्ण अधिकार हैं। अप्रार्थीगण का यह कथन भी विचारणीय है कि अप्रार्थीगण की भूमि में वेयर हाउस है जिसमें भारतीय खाद्य निगम का खरीदशुदा गैंहू भण्डारित किया गया है। जिसकी सुरक्षा भी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

7. दोनों पक्षों में सीमा विवाद है, लड़ाई झगड़ा होने की भी सम्भावना है। जिससे उभयपक्ष को अपूर्णीय क्षति संभावित है। ऐसी स्थिति में मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्ष को पाबंध किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। साथ ही प्रकरण के निस्तारण हेतु भू प्रबन्ध विभाग से विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु प्रार्थीगण को पांबद किया जाना न्यायालय की राय में उचित है कि वे भू प्रबन्ध विभाग, बीकानेर में अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश संबंधित कार्यवाही करें जिसके हेतु समस्त खर्च प्रार्थीगण अपने स्तर पर वहन करें।

–: आदेश :–

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष मूल वाद पत्र के निस्तारण तक विवादित भूमि चक 3 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर का खाता सं–211 का मुरब्बा नं 56 पत्थर सं–126/362 का किला नं–1/1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2 में 1.1890 हैक्टर कमाण्ड व 0.025 हैक्टर खाला व मुरब्बा नं–63 पत्थर सं–128/363 का किला नं–11 ता 15, 18, 19, 20 में 1.8970 हैक्टर अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 3.1110 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला भूमि पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे भू प्रबन्ध विभाग, बीकानेर में अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश संबंधित कार्यवाही करें जिसके हेतु समस्त खर्च प्रार्थीगण अपने स्तर पर वहन करें। इस हेतु भू प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर को निर्णय की प्रति की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रार्थीगण से पैमाईश संबंधित कार्यवाही हेतु नियमानुसार राशि जमा करवाते हुए सीमाज्ञान संबंधित कार्यवाही करने हेतु लिखा जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested